कार्यालयः— नगर पालिका परिषद, लोनी जनपद—गाजियाबाद

प्रमाणित किया जाता है कि निकाय के **55 वार्डों** में डोर—टू—डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य वर्तमान में शतप्रतिशत किया जा रहा है।

उक्त के अतिरिक्त यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान में निकाय के समस्त वार्डों में से **44 (80 प्रतिशत)** वार्डों में कूड़ा पृथक्कीकरण का कार्य किया जा रहा है।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, लोनी
(गाजियाबाद)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EE 427380

28 MAY 2018

अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, लोनी, जनपद गाजियाबाद प्रथम पक्ष।

ठेकेदार का नाम एवं पता– मेसर्स आर्यन ग्रुप ऑफ गार्ड सर्विसेज, सेक्टर जे अलीगंज, लखनऊ द्वितीय पक्ष।

अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, लोनी, जनपद–गाजियाबाद के आदेश संख्या 3.../ न0पा0प0लोनी0/अनुबन्ध /2018–19 दिनाक 13, अगस्त, 2018 को सफाई कार्य का ठेका लिया है, विवरण निम्नवत् है

क्र0 सं0	कार्य का नाम	अनुमानित लागत(मासिक)	स्वीकृति धनराशि	अतिरिक्त जमानत धनराशि
1	सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स 2016 के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद लोनी जनपद गाजियाबाद क्षेत्रान्तर्गत समस्त वार्डों में डोर–टू–डोर कूड़ा कलेक्शन एवं सम्पूर्ण सफाई कार्य हेतु(प्राइमरी स्वीपिंग)	15428765.00	15405621.00	1232450.00

उपरोक्त कार्य में निम्न शर्तों का पाबन्द होता हूँ :–

1. अनुबन्ध में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
2. ठेकेदार द्वारा नगर पालिका परिषद, लोनी की सम्पूर्ण सफाई (प्राईमरी स्वीपिंग) एवं डोर–टू–डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य करना होगा।
3. ठेकेदार द्वारा सफाई कार्य मे लगाये गये समस्त वाहनों में जीपीएस/स्वच्छ भारत का स्लोगन का स्टीकर लगाया जाना आवश्यक होगा।
4. सफाई कार्य में प्रयुक्त होने वाली समस्त सामग्री की प्रतिपूर्ति ठेकेदार द्वारा स्वयं की जायेगी।
5. समस्त डीजल चलित वाहनों में डीजल डलवाने का कार्य ठेकेदार द्वारा कराया जायेगा तथा सभी की लॉग–बुक ठेकेदार द्वारा पूर्ण करायी जायेगी एवं उसे माहवार समक्ष अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित करायी जायेगी।
6. ठेकेदार द्वारा सम्पूर्ण सफाई कार्य का माहवार एलबम फोटो सहित (सफाई कराने से पूर्व एवं बाद की फोटो) उपलब्ध करायी जायेगी।
7. ठेकेदार द्वारा सफाई का कार्य दो–शिफ्टों मे कराया जावेगा।
8. समस्त सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण, वर्दी, गमबूट, हैण्डग्लब्स, मास्क आदि उपलब्ध कराये जाने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

Shalini

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद् लोनी,
(गाजियाबाद)

अध्यक्ष
नगरपालिका परिषद, लोनी
गाजियाबाद

ARYAN GROUP OF GUARD SERVICES

9.ठेकेदार द्वारा समस्त सफाई कर्मचारियों का हैल्थ–चेकअप समय–समय पर कराया जायेगा, जिसकी रिपोर्ट कार्यालय को उपलब्ध करायेगा।

10. ठेकेदार द्वारा श्रमिकों का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किया जायेगा।

11.श्रमिक/चालक इत्यादि से किसी सरकारी सम्पत्ति (वाहन/मशीन/संयत्र) के क्षतिग्रस्त/दुर्घटना होने पर उक्त की क्षतिपूर्ति सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा की जायेगी।

12.चालक/श्रमिक द्वारा नगर पालिका के वाहन से दुर्घटना/एक्सीडेन्ट होने पर उक्त को किसी थाना/न्यायालय से अवमुक्त कराने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

13.शासन द्वारा निर्धारित संशोधित दर समय–समय पर देय होगी तथा करों से सम्बन्धित समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

14.श्रमिकों की वेतन से काटी गई ई0पी0एफ0/ई0एस0आई0सी0 की धनराशि सम्बन्धित के खाते में जमा कराकर उस चालान की प्रति नगर पालिका में जमा करना अनिवार्य होगा।

15.सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

16.ठेकेदार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत बने हुये निर्मित समस्त शौचालयों की सफाई का कार्य कराया जायेगा।

17.नगर पालिका अन्तर्गत समस्त वार्डो में फॉगिंग एवं कीटनाशक का छिडकाव ठेकेदार द्वारा कराया जायेगा एवं उक्त कार्य के समस्त अभिलेख कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा।

18.उपरोक्त कार्य में लगाये गये समस्त श्रमिकों की समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की अपनी होगी।

19.किसी भी विवाद मे नगर पालिका परिषद् लोनी का निर्णय अन्तिम व सर्व मान्य होगा।

20.शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का अनुपालन ठेकेदार द्वारा किया जायेगा।

21.ठेकेदार द्वारा कार्य सन्तोषजनक न होने की स्थिति में समक्ष स्तर से निविदा निरस्त की जा सकती है।

22.कार्य सन्तोषजनक रहने की स्थिति में उत्तरोत्तर पॉच वर्ष की समयवृद्धि की जायेगी।

23.सेवाप्रदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये श्रमिकों का कार्य सन्तोषजनक न होने की दशा में तत्काल उक्त कार्य से हटा दिया जायेगा।

24.नगर पालिका द्वारा श्रमिकों की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है।

ATTESTED
Notary Ghaziabad

NOTARY · KAMAL CHAND · Advocate · Ghaziabad · GOVT. OF INDIA

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद् लोनी,
(गाजियाबाद)

अध्यक्ष
नगरपालिका परिषद, लौनी
गाजियाबाद

स्वच्छता से समृद्धि की ओर–हमारा लोनी, गाजियाबाद

:: स्वच्छ भारत :: :: स्वच्छ उत्तर प्रदेश :: :: स्वच्छ लोनी ::

कार्यालय:– नगर पालिका परिषद, लोनी जनपद–गाजियाबाद

पत्रांक संख्या: सं.मो./न.पा.प./2017-18 दिनांक: 16.11.2017

:: आवश्यक सूचना ::

नगर पालिका परिषद, लोनी क्षेत्र के समस्त नागरिकों/व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि निकाय क्षेत्र के 55 वार्डों में ''स्वच्छ भारत मिशन'' के अन्तर्गत डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन हेतु प्रत्येक वार्ड में एक ट्रैक्टर घर जाकर कूड़ा उठाने का कार्य किया जा रहा है, तथा आप अपने घरों में दो डस्टबिन रखें, जिसमें 1-नीले में सूखा कूड़ा, 2-हरे में गीला कूड़ा एकत्रित करें तथा निकाय के ट्रैक्टर में कूड़ा डालें।

अतः इस सूचना प्रकाशन की तिथि से 7 दिवस के अन्दर अपने-अपने घरों में डस्टबिन रखें तथा कूड़े को रोड आदि पर न डालें, यदि आप द्वारा ऐसा किया जाता है तो आपके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में कार्यवाही की जायेगी तथा जुर्माना भी वसूला जाएगा। सूचित हो।

अधिशासी अधिकारी/प्रशासक
नगर पालिका परिषद, लोनी
(गाजियाबाद)

स्वच्छता से समृद्धि की ओर–हमारा लोनी, गाजियाबाद

:: स्वच्छ भारत :: :: स्वच्छ उत्तर प्रदेश :: :: स्वच्छ लोनी ::

कार्यालयः– नगर पालिका परिषद, लोनी जनपद– गाजियाबाद

पत्रांक संख्या– नी.नो. /न0पा0प0/2017–18 दिनांक 16–11–2017

:: आवश्यक सूचना ::

नगर पालिका परिषद, लोनी क्षेत्र के समस्त नागरिकों/व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि निकाय क्षेत्र के 55 वार्डों में " स्वच्छ भारत मिशन" के अन्तर्गत डोर–डू–डोर कूड़ा कलेक्शन हेतु प्रत्येक वार्ड में एक ट्रैक्टर घर जाकर कूड़ा उठाने का कार्य किया जा रहा है, तथा आप अपने घरों में दो डस्टविन रखें, जिसमें 1–नीले में सूखा कूड़ा 2–हरे में गीला कूड़ा एकत्रित करें तथा निकाय के ट्रैक्टर में कूड़ा डालें।

अतः इस सूचना प्रकाशन की तिथि से 7 दिवस के अन्दर अपने–अपने घरों में डस्टबिन रखें तथा कूड़े को रोड आदि पर न डालें, यदि आप द्वारा ऐसा किया जाता है तो आपके विरूद्ध सुसंगत धाराओं में कार्यवाही की जायेगी तथा जुर्माना भी वसूला जायेगा। सूचित हो।

अधिशासी अधिकारी/प्रशासक
नगर पालिका परिषद, लोनी
(गाजियाबाद)

पत्रांक एवं दिनांक– तदैव।

प्रतिलिपि– सम्पादक, 1– दैनिक जागरण, गाजियाबाद 2– हिन्दुस्तान गाजियाबाद को इस आश्य से प्रेषित है कि आप उपरोक्त सूचना को अपने शीघ्र प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र में कम से कम स्थान पर प्रकाशित कर बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करे।

अधिशासी अधिकारी/प्रशासक
नगर पालिका परिषद, लोनी
(गाजियाबाद)